dk;k'y; vk;qä] ikjfEHkd f'k{kk] jktLFkku] chdkusj

ifji=

जैसा कि विदित है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 15 जून 2005 से प्रभावशील हो गया है। आयुक्तालय, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने आदेश क्रमांक– शिविरा/ प्रारं/ मोने(सू.अ.)/ 13705/ 05 दिनांक 31.01.05, 03.03.06 एवं 25.05.07 द्वारा, आयुक्तालय स्तर से ब्लॉक, प्रारंभिक शिक्षा, अधिकारी तक (आयुक्तालय राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर, उपनिदेशक, पंजीयक शिक्षा विभागीय परिक्षाऐं, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य डाईट्स एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) के अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी मनोनीत किया जा चुका है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में निम्न निर्देश प्रदत किये जाते है:–

i) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जो भी प्रार्थना पत्र अपील प्राप्त हुई है अथवा भविष्य में प्राप्त हो उनमें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 एवं उसके अन्तर्गत राज्य में बनाये गये नियमों/ प्रावधानों के अनुसार अविलम्ब कार्यवाही की जाये।

ii) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत– शासन सचिवालय, राजस्थान सूचना आयोग, आयुक्तालय, नियन्त्रण अधिकारियों एवं अन्य अभिकरणों के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों का प्रत्युतर भिजवाते समय, अन्य सम्बन्धितो को, प्रति अवश्य भिजवायें।

iii) किसी प्रकरण में यदि प्रार्थी द्वारा अपेक्षित सूचनाऐ सम्बन्धित नही है/सूचना दी जानी सम्भव नहीं है/ प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा चुका है/ अथवा आंशिक सूचना ही दी जा सकती है, तत्सम्बंधी सूचना तत्काल, निर्धारित समयावधि में प्रार्थी को दी जाये।

iv) समस्त प्राप्त आवेदन पत्र, अपील, पंजीकरण शुल्क, सूचना शुल्क का पृथक–पृथक रजिस्टर में समुचित रिकोर्ड का संघारण किया जाये।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उपरोक्त निदेर्शो की अनुपालना अविलम्ब सुनिश्चित की जाये।

आयुक्त
प्रारंभिक शिक्षा,
राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक– शिविरा/प्रारं/मोने(सू.अ.)13705/रास/07 दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग,जयपुर
2. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग OTS जवाहरलाल नेहरू,मार्ग जयपुर
3. उपशासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय,
4. निदेशक,एस.आई.ई.आर.टी, उदयपुर
5. समस्त उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा/ पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर/ प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
6. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
7. समस्त ग्रुप/अनुभाग अधिकारी, आयुक्तालय, बीकानेर

आयुक्त
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

dk;ky; vk;ä] ikjfEHkd f'k{kk] jktLFkku]chdkusj

vkns'k

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आयुक्तालय, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक समसंख्यक दिनांक 30.1.06 व 3.3.06 से आयुक्तालय स्तर, मण्डल स्तर, जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गई सूचनाओं को उपलब्ध करवाई जाने हेतु निम्नानुसार अधिकारियो का मनोनयन किया गया था :–

1. अपर निदेशक(शैक्षिक) प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर	नोडल अधिकारी सूचना का अधिकार प्रा. शि. आयुक्तालय, बीकानेर
2. निदेशक एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर	सूचना अधिकारी, एस.आई.ई.आर.टी.
3. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा (सम्बधित मण्डल के लिए)	मण्डल सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी
4. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर	सूचना अधिकारी, पंजीयक शि.वि.परीक्षाएं
5. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा (सम्बन्धित जिले के लिए)	जिला सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी
6. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (सम्बन्धित ब्लॉक के लिए)	ब्लॉक सूचना अधिकारी

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को भी सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गई सूचना उपलब्ध कराने हेतु मनोनीत किया जाकर क्रम संख्या 7 पर सम्मिलित किया जाता है। क्रम संख्या 2 पर अंकित निदेशक एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर को डाईट्स के लिये अपील अधिकारी भी मनोनीत किया जाता है।

7. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था (डाईट्स) (संबंधित जिले के लिये)	जिला सूचना अधिकारी

ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

आयुक्त
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

ifrfyfi fuEukfdr dk lpukFk ,o vko';d dk;okgh grq %&

क्रमांक– शिविरा/प्रारं/मोने/सूअ/13705/05 दिनांकः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग,जयपुर
2. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग OTS जवाहरलाल नेहरू,मार्ग जयपुर
3. उपशासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय,
4. निदेशक,एस.आई.ई.आर.टी, उदयपुर
5. समस्त उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा/ पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर/प्रधानाचार्य जिला शिक्षा, एवं प्रशिक्षण संस्थान
6. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
7. समस्त ग्रुप/अनुभाग अधिकारी, आयुक्तालय, बीकानेर

आयुक्त
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर